अंक-7 फरवरी 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

आगामी कार्यक्रम

विषय वस्तु

- 9 वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन (आई एम आई सी)
- रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौता
- गुजरात एवं महाराष्ट्र में सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर
- पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना
- परियोजना अनुमोदन
- मिशन भागीरथ
- सिंधु आयोग का दौरा
- 30 वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन
- कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के लिए आकृति विज्ञान अध्ययन
- समाचार में जल क्षेत्र
- चर्चा- बांध सुरक्षा विधेयक
- दीर्घा (गैलरी)
- गणतंत्र दिवस समारोह
- के.ज.आ. को सीडब्ल्यूआईपी अवार्ड
- इतिहास- डॉ ए एन खोसला

संदेश
सैयद मसूद हुसैन
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

नववर्ष की अच्छी शुरुआत हुई है . माननीय प्रधानमंत्री ने 4 जनवरी 2019 को मणिपुर राज्य में ढोलाइथाबी बैराज परियोजना का उदघाटन किया. यह पीएमकेएसवाई एआईबीपी के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है जिसकी प्रगति की निगरानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है .

5 जनवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला रखी .पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल) को सीमित किये जाने के निर्णय के बाद सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. शेष कार्य को पूरा करने के लिए सितंबर 2017 में केंद्रीय जल आयोग , बिहार एवं झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग तथा वाप्कोस के बीच एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए .सदस्य, (जल योजना एवं परियोजना) केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना के निष्पादन की निगरानी सक्रियता से की जा रही है . यह परियोजना मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है.

श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने ऊपरी यमुना बेसिन में गिरी नदी पर रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं . यह परियोजना 16 चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है तथा इसे 6 मार्च 2017 को जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था . नवंबर, 2018 के मूल्य स्तर पर 7360.34 करोड़ रुपये की संशोधित लागत का अनुमान,परियोजना प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस पर के.ज.आ. और के.वि.प्रा. (सीईए) में कार्रवाई चल रही है .

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जलनिकास आयोग के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय सतही जल समिति - केंद्रीय जल आयोग , जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण एवं वाप्कोस लिमिटेड ने 15 से 20 जनवरी 2019 के दौरान औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 'नौवीं अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन' का आयोजन किया.यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा. इसमें भारत एवं विदेशों से लगभग 750 विशेषज्ञ, पेशेवर नीति निर्माता, शिक्षाविद, जल उद्योग के प्रतिनिधि सूक्ष्म सिंचाई के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु एकत्रित हुए. इस आयोजन हेतु केंद्रीय जल आयोग ने सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया .

बांध सुरक्षा और सुधार परियोजना (ड्रिप) के तत्वाधान में 13-14 फरवरी, 2019 के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन - 2019' के लिए बांध सुरक्षा और संबंधित विषयों से जुड़े सभी पेशेवरों को आमंत्रित करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. आई डी एस सी 2019 का आयोजन संयुक्त रूप से केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है. जनवरी 2018 में केन्द्रीय जल आयोग ने ड्रिप के अंतर्गत हीराकुंड बांध के लिए तैयार की गई आपातकालीन कार्य योजना को ओडिशा सरकार को सौंप दिया.

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में 30 सप्ताह के लंबे प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद 37 नवनियुक्त केंद्रीय जल आयोग अभियांत्रिकी सेवा समूह 'क' अधिकारियों ने अपने तैनाती के कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण किया. उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत दर्शन भी एक घटक था .मैं उन सभी को चुनौतीयों वाले इस जल संसाधन क्षेत्र में उनकी सफल व्यवसायिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ .

9 वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन (आई एम आई सी)

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जलनिकास आयोग के तत्वावधान में 15.1.19 से 20.1.19 के दौरान औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 9 वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सतही जल समिति , केंद्रीय जल आयोग (आई एन सी एस डब्लू -सी डब्लू सी), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया था . दुनिया भर के लगभग 750 विशेषज्ञ, पेशेवर, नीति निर्माता, शिक्षाविद, जल उद्योग के प्रतिनिधि और भारत के किसान, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि उद्योग हेतु इस के माध्यम से उपलब्ध अवसरों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए .

16 जनवरी 2019 को सम्मेलन के उद्घाटन में लगभग 1200 प्रतिभागी उपस्थित हुए तथा निम्नांकित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति देखी गई.

- श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) , भारत सरकार
- श्री देवेंद्र फड़नवीस, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
- श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण)
- डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, माननीय कृषि मंत्री, जल एवं समुद्र विकास, फिजी सरकार
- श्री हरिभाऊ बागडे , सभापति , महाराष्ट्र विधानसभा
- श्री डी .के . शिवाकुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार
- श्री विनोद पलींकर, माननीय मंत्री जल संसाधन, गोवा सरकार
- श्री सूर्य प्रताप शाही, माननीय कृषि मंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार

श्री यू पी सिंह, सचिव(जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), इंजी. फेलिक्स रेण्डेर्स, अध्यक्ष, आई सी आई डी एवं श्री मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार एवं श्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने जल संसाधन विभाग,महाराष्ट्र सरकार की "जल संरक्षण एवं कृषि में बचत" नामक पुस्तक के साथ 9 वीं आई एम आई सी की स्मारिका का भी विमोचन किया.

15 जनवरी 2019 को वाल्मी ,औरंगाबाद में कृषक समुदाय हेतु अद्यतन सूक्ष्म तकनीकी पर सम्मेलन-पूर्व एक पूर्ण दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिससे किसानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच घनिष्ठ सहकार्यता बढ़ी . इस सम्मेलन ने किसान बाजार और तकनीकी प्रदर्शनों की भी मेजबानी की, जिसमें किसानों, प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने सूक्ष्म सिंचाई में नवीनतम तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले निजी हितधारकों में परस्पर बातचीत हुई .

मुख्य तकनीकी सत्र 16 से 18 जनवरी 2019 को आयोजित हुए जिसमें 23 तकनीकी सत्र सहित 3 पूर्ण सत्र एवं आठ विशेष सत्र का आयोजन निम्नलिखित विषयोंऔर उपविषयों पर किया गया :

मुख्य विषय : आधुनिक कृषि में सूक्ष्म सिंचाई

उप-विषय 1: फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु सूक्ष्म सिंचाई डिजायन ,नवाचार एवं नई तकनीकी

उप-विषय 2:सूक्ष्म सिंचाई निधि एवं सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से सरकारी सहयोग

उप-विषय 3 : सामूहिक स्तर की खेती एवं छोटे खेत धारकों के लिए सूक्ष्म सिंचाई

उप-विषय 4: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए संचालन व रख -रखाव तथा क्षमता का विकास

सम्मेलन का विदाई सत्र 18 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ . इस सत्र की अध्यक्षता श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, इं. फेलिक्स रेइंडेर्स, अध्यक्ष, आईसीआईडी एवं अन्य की उपस्थिती में की गई .

सम्मेलन में लगातार तीन दिनों तक दुनिया भर से 750 प्रतिनिधियों की रिकॉर्ड संख्या देखी गयी, जिसमें विश्व बैंक, एडीबी, इस्लामिक विकास बैंक, सीआई एमएमवाईटी , आईआरआरआई इत्यादि के 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए . सम्मेलन के दौरान कुल 150 पेपर प्राप्त हुए जिससे यह सम्मेलन तकनीकी आदान-प्रदान हेतु बड़ा सफल रहा . यह सम्मेलन, प्रस्तुत किए गए पेपरों के मानक , लाजिस्टिक व्यवस्था,राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों की भागीदारी, तकनीकी सत्रों के सुचारु पेशेवर संचालन, असाधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विस्तृत प्रदर्शनियों के संदर्भ में एक शानदार सफल सम्मेलन था .

रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौता

11 जनवरी 2019 को श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) एवं छः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा रेणुकाजी बहुद्देशीय बांध परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया .

दिल्ली एवं दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में जनसंख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण, पीने के पानी की कमी खतरनाक स्थिति तक पहुँच गयी है. इस समस्या का संज्ञान लेते हुए रेणुकाजी बांध परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए यमुना की सहायक नदी, गिरि को एक भंडारण योजना के तौर पर परिकल्पित किया गया है. चूंकि यह बांध लोकप्रिय धार्मिक स्थल रेणुकाजी एवं एतिहासिक रेणुकाजी झील के पास स्थित है, इस परियोजना को 'रेणुकाजी बांध परियोजना' का नाम दिया गया है .

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरि नदी पर मौजूदा जटेओन बैराज के लगभग 5 किमी प्रतिप्रवाह पर और साथ में जोगर-का-खाला संगम पर लगभग 375 मी अनुप्रवाह पर 148 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है. दिल्ली में 9 महीने (अक्टूबर से जून) के दौरान 498 एमसीएम का सक्रीय भंडारण 23 क्यूमेक्स तक स्थिर जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा. सम्पूर्ण बांध परिसर, भंडारण जलाशय और जलग्रहण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित है.

बांध के नीचे में प्रस्तावित पावर हाउस में 40 मेगावाट (2 X 20 मेगावाट) बिजली उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध शीर्ष का उपयोग करना भी प्रस्तावित है. इस परियोजना से 90% आश्रित वर्ष में 2000 लाख किलोवाट -घंटा की सुनिश्चित विद्युत् शक्ति का उत्पादन होगा.मूल रूप से यह परियोजना पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई गयी है जबकि बिजली का उत्पादन अतिरिक्त लाभ है.

भारत सरकार ने इस परियोजना को फरवरी 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है .

जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा इसे 06.03.2017 को आयोजित बैठक में कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया. नवम्बर 2018, के मूल्य स्तर पर संशोधित लागत का अनुमान रु. 7360.34 करोड़ परियोजना प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर केन्द्रीय जल आयोग और सीईए में कार्रवाई हो रही है .

रेणुकाजी बांध के निर्माण के कारण यमुना बेसिन में उपलब्ध अतिरिक्त जल को जैसा कि अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा तय किया गया है दिल्ली की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा.

यह व्यवस्था सिर्फ तभी तक उपलब्ध रहेगी जब तक ऊपरी यमुना जल गृहण क्षेत्र में लखवार एवं किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण नहीं हो जाता है. तत्पश्चात, रेणुकाजी बांध से जल का छोड़ा जाना दिनांक 12.05.1994 को शामिल राज्यों के बीच एमओयू के अनुसार समग्र वार्षिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा .

गुजरात एवं महाराष्ट्र में सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

केन्द्रीय जल आयोग, सीडबल्यूपीआरएस एवं गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच सम्बंधित राज्यों के लिए तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु गांधीनगर में 7 जनवरी 2019 को दो त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए .गुजरात (दक्षिणी क्षेत्र) और महाराष्ट्र (उत्तरी क्षेत्र) में तटीय प्रेक्षण स्थलों की स्थापना के लिए परियोजना की कुल लागत 695.351 लाख रूपए है .

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सीएमआईएस को लागू करना एवं केंद्रीकृत डाटा केंद्र की स्थापना करना है . इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की विशेषज्ञ एजेंसियां शामिल होंगी जो भारतीय तट के तटीय सुरक्षा उपायों और दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने हेतु तटीय प्रक्रियाओं पर क्षेत्रीय आंकड़ा एकत्रित करेंगी . इस गतिविधि के अंतर्गत तट के समीप एवं तटीय क्षेत्र में आंकड़ा संग्रह पर ज़ोर दिया जाएगा. यह पैरामीटर के प्रकार,आंकड़ा संकलन की पद्धति पर आधारित तटीय आंकड़ा संकलन के लिए उपयुक्त एसओपी/ मैनुअल / दिशा निर्देशिका को बनाने में सहायक होगा.

पृष्ठभूमि

दीर्घकालीन योजनाओं के विकास एवं तटीय सुरक्षा उपायों के लिए तटीय प्रक्रियाओं पर डाटा संकलन की प्रक्रिया आवश्यक है. तदनुसार, भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की चल रही योजना,नामतः 'जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'के अंतर्गत सीएमआईएस के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी है .

अक्टूबर 2016 में केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के प्रत्येक नाजुक तटीय स्थल पर सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु संबन्धित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, आईआईटी, मद्रास एवं केन्द्रीय जल आयोग के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.

इसके बाद ,अन्य संघ शासित प्रदेशों एवं समुद्री राज्यों में सीएमआईएस के कार्यान्वयन के विस्तार पर केन्द्रीय जल आयोग एवं अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के बीच चर्चा हुई.

दो राज्यों नामतः गुजरात (दक्षिणी क्षेत्र) एवं महाराष्ट्र (उत्तरी क्षेत्र) में सीएमआईएस का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र ने अपना समझौता केन्द्रीय जल आयोग को अग्रेषित किया है .इसी तरह का एक समझौता राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान , गोवा द्वारा अन्य क्षेत्रों / राज्यों के लिए भी प्रस्तावित किया गया था और यह प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है .

पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम के रामय्यपेटा के समीप, गोदावरी नदी पर एक बहुद्देशीय परियोजना है.

यह परियोजना गोदावरी नदी पर सर आर्थर कॉटन बैराज के 42 किमी. प्रतिप्रवाह पर स्थित है. इस परियोजना से प्राप्त जल सिंचाई, पेय जल एवं विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित है.

एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 ने इस पोलावरम सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है .परियोजना की सिंचाई घटक की शेष लागत 01.04.2014 तक रु. 7158.53 करोड़ थी जो कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी. वर्ष 2018 तक, इस परियोजना के लिए रु.6764.16 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है.

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की स्थापना 2014 में स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस पी वी) के तौर पर कार्य करने के लिए किया गया था. भारत सरकार के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार इस परियोजना को निष्पादित कर रही है.

पोलावरम सिंचाई परियोजना के अभिकल्प एवं आरेखण की जाँच का कार्य के.ज.आ. के अभिकल्प और अनुसंधान स्कंध को सौंपा गया है. इस परियोजना की नियमित निगरानी और परियोजना के डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बेहतर समन्वयन करने के लिए पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में डैम डिज़ाइन एवं समीक्षा पैनल(डी डी आर पी) तथा सदस्य (डबल्यू पी एंड पी),केन्द्रीय जल आयोग की अगुआई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है.

परियोजना स्थल पर डीडीआरपी की 11 वीं बैठक दिनांक 06.01.2019 को आयोजित की गई थी. के.ज.आ. की टीम ने डब्ल्यूआरडी,आंध्र प्रदेश सरकार के साइट अधिकारियों के साथ 07.01.2019 को उत्प्लाव (स्पिलवे) , हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरणों के निर्माण तथा गेट-स्थापन कार्यों के निरीक्षण के लिए दौरा किया.

यह भी पाया गया कि प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह कॉफ़र बांधों की नींव में जेट ग्राउटिंग पूर्ण हो गई है. अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध का निर्माण प्रगति पर था.

पोलावरम परियोजना- लाभ

- बाएँ मुख्य नहर के अंतर्गत पूर्व गोदावरी , विशाखापत्तनम जिले में 4 लाख एकड़ में सिंचाई लाभ
- दाहिनी मुख्य नहर के अंतर्गत पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा जिले में 3.2 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई लाभ
- 960 मेगावाट कि स्थापित क्षमता के साथ हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत का उत्पादन
- विशाखापत्तनम में उद्योगों के लिए जल आपूर्ति
- गावों एवं कस्बों में पेयजल की आपूर्ति
- अल्पता काल में अनुप्रवाह में मौजूद सर आर्थर कॉटन बैराज हेतु 15 टीएमसी संग्रहीत पानी छोड़ने के लिए
- दाहिनी मुख्य नहर के माध्यम से कृष्णा नदी में 80 टीएमसी संग्रहीत पानी को विपथित करने के लिए

पोलावरम सिंचाई परियोजना के घटक

नदी के बाएं किनारे पर गैप - I में मिट्टी का बांध

गोदावरी नदी के मुख्य प्रवाह चैनल में स्थित गैप - II में मृदा सह प्रस्तरपुर(रॉकफिल) बांध

दाहिने किनारे पर स्थित गैप - III में मिट्टी का बांध

एप्रोच चैनल और स्पिल चैनल को जोड़ने के साथ दाहिने किनारे पर स्थित स्पिल चैनल

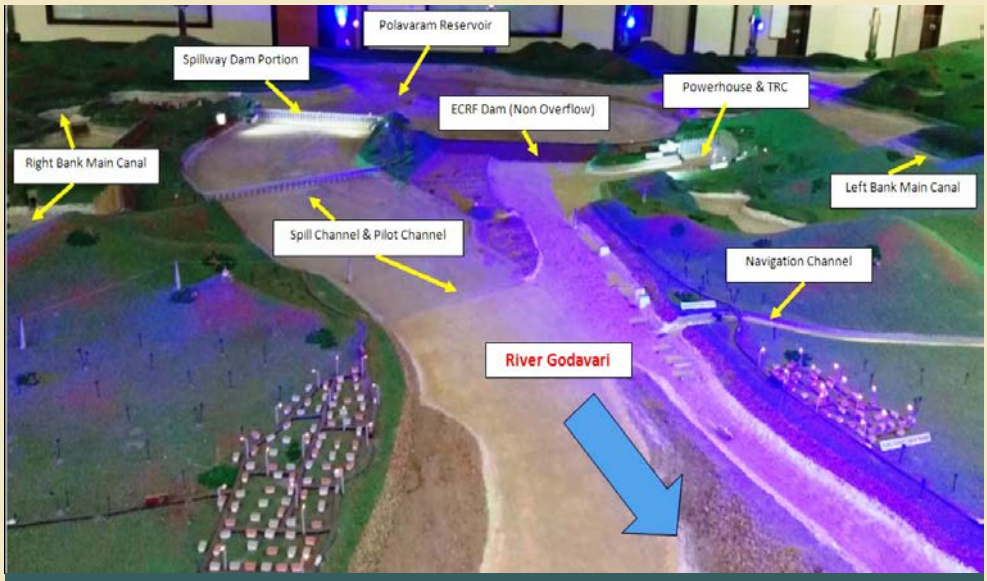

परियोजना का मॉडल

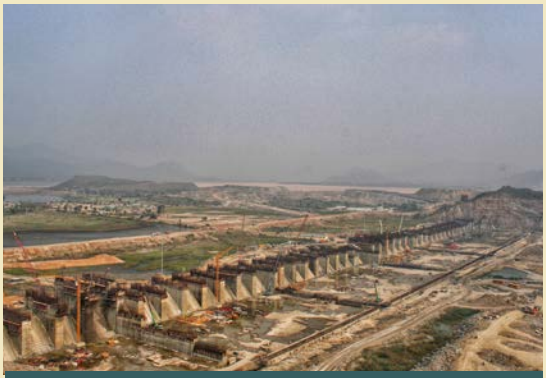

पोलावरम परियोजना का निर्माण स्थल

विश्व रिकॉर्ड

पोलावरम परियोजना ने 6-7 जनवरी, 2019 के दौरान 24 घंटे में 32315.5 घन मीटर कंक्रीट को अविराम उड़ेलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है. इस परियोजना ने दो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं :

1- 24 घंटों में लगातार अधिकतम कंक्रीट उड़ेलने का कीर्तिमान

2- निरंतर विशाल कंक्रीट उड़ेलने का कीर्तिमान

राष्ट्रीय परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का उपयोग

परियोजना का नाम	परियोजना की अधिकतम सिंचाई क्षमता (हज़ार हेक्टेयर)	सृजित क्षमता (हज़ार हेक्टेयर)	उपयोग (हज़ार हेक्टेयर)
सरयू नहर	1404	1096	615.84*
गोसीखुर्द	250.8	74.45	47.56
पोलावरम	291	121	118
शाहपुरकांडी	37.17	-	-
तीस्ता	527	197	104

*भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो-इंफॉर्मेटिक्स द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार फसल क्षेत्र

परियोजना का अनुमोदन

जनवरी 2019 के दौरान श्री यू पी सिंह , सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में मंत्रालय की सिंचाई, बहुद्देशीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की 139वीं एवं 140वीं बैठक आयोजित हुई जहां समिति द्वारा निम्नलिखित परियोजना को स्वीकृत किया गया था .

परियोजना का नाम	उझ बहुउदेशीय परियोजना ,जम्मू व कश्मीर
परियोजना की श्रेणी	वृहद, बहुउदेशीय, राष्ट्रीय परियोजना
अनुमानित लागत	रु. 5850 करोड़ (मूल्य स्तर जुलाई 2017)
नदी /स्थान	कठुआ जिले में उझ नदी (रावी की सहायक नदी) पर
लाभान्वित जिले	कठुआ और साम्बा,जम्मू व कश्मीर
मुख्य विशेषताएं / लाभ	• पंचतीर्थी के 1.6 कि.मी अनुप्रवाह पर बारबरी गाँव में उझ नदी (608 मीटर पर एफ आर एल) पर 116 मीटर ऊँचा बांध • सक्रिय भंडारण - 781 एम सी एम • बैराज - पॉवर हाउस के 1.5 कि.मी अनुप्रवाह पर • विद्युत गृह की क्षमता : 186 में.वा + (बांध के नीचे स्थित विद्युत् गृह की 2.5 में.वा X 4 इकाइयाँ) = 196 में.वा • सी सी ए - 16743 हेक्टेयर • वार्षिक सिंचाई - 31380 हेक्टेयर • कठुआ जिले में पीने के लिए 10 क्यूसेक जल निर्धारित

सिंधु आयोग का दौरा- चेनाब बेसिन

31 जनवरी 2019 को स्थायी सिंधु आयोग का सामान्य निरीक्षण दौरा कार्यक्रम समाप्त हुआ. पाकिस्तान सिंधु आयुक्त, श्री सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह एवं भारतीय आयुक्त श्री पी के सक्सेना ने विभिन्न संबन्धित सलाहकारों के साथ चिनाब बेसिन में निर्माणाधीन भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं का दौरा किया जिसमें - पाकल दुल (1000 मे.वा.), रातले (850 मे.वा.) और निचली कलनई (48 मे.वा.) शामिल हैं. प्रतिनिधिमंडल ने संचालित किये जा रहे बगलिहार जल विद्युत परियोजना (900 मे.वा.) का भी दौरा किया.

यह दौरा कार्यक्रम, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1960 मे हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अंतर्गत अनिवार्य है.

पाकिस्तान आयुक्त ने अपने भारतीय समकक्ष को पाकिस्तान के सिंधु बेसिन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया. भारतीय आयुक्त और उनके सलाहकारों का पाकिस्तान दौरा दोनों आयुक्तों द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित तिथि पर होगा.

पाकल दुल बांध स्थल पर दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों श्री सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और श्री पी के सक्सेना के नेतृत्व में भारत पाक प्रतिनिधिमंडल

राज्यों की पहल - तेलंगाना

मिशन भागीरथ

मिशन भागीरथ तेलंगाना सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य सतही जल स्रोतों से सुरक्षित एवं पाइप के माध्यम से सतत पेय जल आपूर्ति उपलब्ध करना है. यह निम्नलिखित मानकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है.

> ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
> नगर पालिकाओं के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
> नगर निगमों के लिए 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

मिशन भागीरथ 43,791 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक बड़ी परियोजना है और इसमें 2.72 करोड़ लोग और 65.29 लाख परिवार शामिल हैं. औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10% पानी आवंटित किया गया है.

सभी सिंचाई स्त्रोतों में 10% जल की मात्रा पेय जल हेतु आरक्षित की गई है. परियोजना के लिए कुल पाइपलाइन नेटवर्क 1.697 लाख किमी. है.

जल आवश्यकता (86.11 टीएमसी) की पूर्ति निम्नवत होगी:-
कृष्णा बेसिन : 32.43 टी एम सी
गोदावरी बेसिन : 53.68 टी एम सी

पारगमन (ट्रांसमिशन) और वितरण प्रणाली का 98% कार्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा करना है.परियोजना के लिए बिजली की आवश्यकता 235 मेगावाट होने का अनुमान है. इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तेलंगाना पेयजल आपूर्ति निगम लिमिटेड का गठन किया गया है.

30 वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा समूह 'क' के नवनियुक्त अधिकारियों के 30 वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 25.01.19 को के.ज.आ. मुख्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ .

1-अध्यक्ष ,के.ज.आ ,30 वें आई टी पी के विदाई समारोह में संबोधित करते हुए .
2-अध्यक्ष ,के.ज.आ ,30 वें आई टी पी के लिए सुश्री पायल गोयल स.नि. ,को प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए .
3-सदस्य (डी एंड आर) 30 वें आई टी पी के लिए श्री धीरज कुमार ,स.नि. ,को द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए .
4-सदस्य (डब्लू पी एंड पी) 30 वें आई टी पी के लिए श्री अमित गुप्ता ,स.नि. ,को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए .
5-30 वें आई टी पी बैच के तीन अधिकारी सांत्वना पुरस्कार के साथ .

कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के लिए आकृति विज्ञान अध्ययन

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वर्तमान बाढ नियंत्रण उपायों के बावजूद देश के एक बड़े भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण जान-माल की भारी क्षति होती है ऐसे में नदी आकारिकी का अध्ययन एवं उपयुक्त रिवर ट्रेनिंग कार्यों का क्रियान्वयन आवश्यक हो जाता है . नदियाँ बड़ी मात्रा में गाद/अवसाद बहा कर ले जाती हैं जो जमा होकर उनके तटों में अपरदन/अभिवृद्धि करता है. नदियों की प्रकृति को समझने के लिए आकृति अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बाढ़ नियंत्रण / रिवर ट्रेनिंग कार्यों एवं जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, स्वरुप निर्माण एवं रखरखाव में मदद करता है.

'जल क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्यक्रम' की योजना के तहत आवश्यकता एवं महत्व को समझते हुए के.ज.आ. ने आई आई टी मद्रास को रिमोट सेंसिंग तकनीकी के प्रयोग से कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों की आकृति अध्ययन का कार्य सौंपा.

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य आधार वर्ष 1970 से लेकर 2010 तक नदी के जलमार्ग में बदलाव का अध्ययन करना और अपरदन की लम्बाई व क्षेत्र के अनुसार तट पर कटाव/जमाव के दर का पता लगाना और महत्वपूर्ण स्थलों के पुनर्भरण हेतु उपयुक्त रिवर ट्रेनिंग कार्यों का सुझाव देना है.

अध्ययन के लिए अंतिम मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 18 से 19 जनवरी 2019 के दौरान के.ज.आ और आईआईटी, मद्रास द्वारा विजयवाड़ा में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों ,शिक्षाविदों और अन्य संबंधित संगठनों ने इस उद्देश्य के साथ भाग लिया कि अध्ययन सभी हितधारकों तक पहुंच सके ताकि हम निष्कर्षों तक पहुँच सकें.

अध्ययन के परिणामों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नई संरचनाओं की योजना बनाने, नदी के संरक्षण कार्यों को अंजाम देने, स्थल की स्थिति आदि के आधार पर नाजुक स्थानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है.

समाचार में जल क्षेत्र

- गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर के 500 मीटर दायरे में निर्माण नहीं (पंजाब केसरी, 04.01.2019)
- ओडिशा पर फिर तूफान का खतरा, सात जिलों में हाई एलर्ट घोषित (पंजाब केसरी, 05.01.2019)
- अंडमान की तरफ बढ़ा तूफान पाबुक (नवभारत टाईम्स, 06.01.2019)
- गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सरयू की धारा मोड़ी (हिन्दुस्तान, 09.01.2019)
- नमामि गंगे मिशन से जुड़े निजी बैंक और उद्यम क्षेत्र (हरि भूमि, 10.01.2019)
- इलाहाबाद—वाराणसी के बीच 26 से एरोबोट चलेंगी : गडकरी (हिन्दुस्तान, 11.01.2019)
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पानी बंटवारे में करेगा कटौती (हरि भूमि, 14.01.2019)
- छह गुना तेजी से पिघल रही अंटार्कटिका में बर्फ (पंजाब केसरी, 16.01.2019)
- यमुना सफाई को सुधरेगी सेप्टेज व्यवस्था(दैनिक जागरण, 19.01.2019)
- अगले साल मार्च तक गंगा शतप्रतिशत साफ हो जायेगी : गडकरी (पंजाब केसरी, 20.01.2019)
- गंगाजल के कारोबार पर कानून बनेगा (हिन्दुस्तान, 20.01.2019)
- मैली हो रही यमुना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नजर (दैनिक जागरण, 24.01.2019)

पैनल परिचर्चा - बांध सुरक्षा विधेयक 2018

श्री एन.के. माथुर, सदस्य(अभिकल्प एवं अनुसंधान), के.ज.आ. ने 05.01.2019 को राज्य सभा टीवी पर 'लॉज़ इन द मेकिंग : बांध सुरक्षा विधेयक 2018' विषय पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया. परिचर्चा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक डॉ. पीएसएन राव भी उपस्थित थे .

श्री एन के माथुर ने उल्लेख किया कि वर्तमान में बांध सुरक्षा के लिए बांध प्राधिकारी, राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा संगठन, के.ज.आ. में केन्द्रीय बांध सुरक्षा संगठन और बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति इत्यादि विभिन्न सम्बद्ध तंत्र मौजूद है.

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि देश में बांध सुरक्षा तंत्र विगत तीन दशकों से प्रभावी हुआ है, हालांकि बांध सुरक्षा विधेयक इन तन्त्रों और संबंधित जिम्मेवारियों को औपचारिक एंव मजबूत बनाने की परिकल्पना करता है . उन्होंने विधेयक के दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी.

विधेयक पर राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर अपनी बात रखते हुए, श्री माथुर ने कहा कि अधिकांश राज्य विधेयक के समर्थन में हैं और उनसे बांध सुरक्षा पर वर्तमान समिति के माध्यम से वार्ता की गई है.कुछ राज्यों ने इस बाबत आशंका व्यक्त की है कि कुछ बांध दूसरे राज्य में स्थित हैं किन्तु उसका संचालन अन्य राज्य करते हैं.

ऐसे राज्य इन बांधों की स्वयं से निगरानी के पक्ष में हैं जबकि विधेयक ऐसे मामलों में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है. डॉ. पी एस एन राव ने विधेयक का समर्थन किया और कस्बा नियोजन विभाग के प्रतिनिधित्व और स्वतन्त्र विशेषज्ञों की भूमिका एवं उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन की आशा व्यक्त की. श्री माथुर ने उल्लेख किया कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र विशेषज्ञों को पैनलबद्ध करने की कार्यवाही पहले ही शुरु की जा चुकी है.

दीर्घा(गैलरी)

जून 2018 के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने 2.1.19 से 5.1.19 के दौरान मणिपुर का दौरा किया. श्री वी. डी. रॉय, निदेशक (एम एंड ए), सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी, आईएमसीटी के सदस्यों में से एक थे

श्री आर. के सिंह, माननीय राज्यमंत्री (विद्युत), स्वतंत्र प्रभार, दिनांक 4.1.19 को - बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी गतिविधियों हेतु जल प्रबंधन खतरों में उत्कृष्टता- सीबीआईपी का विशेष मान्यता पुरस्कार 2019, श्री एन के माथुर, सदस्य (आरएम), के.ज.आ और श्री एम. एस ढिल्लों, मुख्य अभियंता (एफएम),के.ज.आ. को देते हुए .

श्री यू. पी सिंह, सचिव, ज.सं.म.न.वि.गं.सं, दिनांक- 7.1.19 को के.ज.आ, मुख्यालय, नई दिल्ली में 139 वीं सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए .

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ और अन्य अधिकारीगण, दिनांक - 10.01.19 को आगामी अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन (आईडीएससी) के निमंत्रण के लिए श्री नवीन पटनायक , माननीय मुख्यमंत्री,ओडिशा के साथ बैठक में (स्रोत: कलिंग टीवी)

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ और श्री एन.के. माथुर, सदस्य (डी एंड आर) के.ज.आ, दिनांक -10.1.19 को श्री पी.के. जेना, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा को ड्रिप के तहत तैयार हीराकुंड डैम की आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) सौपते हुए.

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. दिनांक- 10.01.19 को भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन के सम्बन्ध में मीडिया से बात करते हुए.

श्री एम .पी. सिंह, मुख्य अभियंता (एमटीबीओ), के.ज.आ. एवं श्री कुशाग्र शर्मा, एस.ई.(सी) एमटीबीओ, के.ज.आ., 18.1.19 से 22.1.19 के दौरान गांधीनगर में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात - 2019' में के.ज.आ द्वारा लगाए गए जल सं. नदी वि. गंगा सं. मंत्रालय के स्टाल पर

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. दिनांक- 23.1.19 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में "सतही सिंचाई में मापों के परिणाम " विषय पर एक कार्यशाला में भाग लेते हुए . इस सत्र की अध्यक्षता श्री राजीव महर्षि , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई.

श्री एस.मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. पंचेश्वर बहुउदेशीय परियोजना के ड्राॅफ्ट डीपीआर के सम्बन्ध में विशषज्ञों/अधिकारियों की टीम की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए

गणतंत्र दिवस पर के.ज.आ के जगमगाते कार्यालय

बाढ़ पूर्वानुमान के लिए के.ज.आ को सीबीआईपी अवार्ड

के.ज.आ. को नई दिल्ली में दिनांक- 4.1.19 को जल खतरे के प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सीबीआईपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

इतिहास- डॉ. ए एन खोसला ,संस्थापक अध्यक्ष ,के.ज.आ

डॉ.ए एन खोसला
संस्थापक अध्यक्ष ,के.ज.आ

कैरियर की एक झलक

- 1916-पंजाब सिंचाई विभाग
- 1918–1920- खोसला डिस्क का आविष्कार किया
- 1943- मुख्य अभियन्ता एवं सचिव, पंजाब सरकार
- 1945- सेंट्रल वाटरवेज़ , इरीगेशन एंड नेविगेशन कमीशन - (सीडब्ल्यूआईएनसी) (अब के.ज.आ) के संस्थापक अध्यक्ष
- 1945-53- अध्यक्ष,सीडब्लूआईएनसी एवं अतिरिक्त सचिव,भारत सरकार
- 1954- पदम् भूषण से सम्मानित किया गया
- 1954-59- कुलपति ,रुडकी विश्वविद्यालय
- 1958-59- सदस्य,राज्यसभा
- 1959- सदस्य,योजना आयोग
- 1962-68- ओडिशा के गवर्नर
- 1977- पदम् विभूषण से सम्मानित किया गया

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा०स०प्र०)-मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ई०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (पी०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री एच एस सेंगर , निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक (तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री एस डी शर्मा, निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक (आई०एस०एम०-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक (डी०एंडआर०समन्वय)-सदस्य
- श्रीमती राजिन्दर पाल, सहायक निदेशक(राज भाषा)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in